प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–12.06.2024 को विभागीय योजनाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही–

सर्वप्रथम समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित सभी विभागीय पदाधिकारियों/अभियंताओं का स्वागत किया गया एवं विभागीय योजनाओं यथा– "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम एवं "मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना" इत्यादि योजनाओं की समीक्षा की गई।

सतही सिंचाई योजना का DPR

1. प्रधान सचिव महोदय द्वारा गत सप्ताह किये गये समीक्षात्मक बैठक में सभी विभागीय पदाधिकारियों/अभियंताओं को इस बात से अवगत कराया गया था कि 15 जून, 2025 तक लगभग 3500 से अधिक संख्या में सतही योजनाओं को पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित है। इस महत्वपूर्ण योजनाओं से अवगत कराते हुए सभी को पुनः निदेशित किया गया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार योजनाओं का डी0पी0आर0 15 अगस्त तक अवश्य पूर्ण कर ली जाय।
2. पटना प्रक्षेत्र अंतर्गत DPR में पायी गयी त्रुटि के कारण वापस कर दिया गया है। प्रधान सचिव महोदय द्वारा डी0पी0आर0 निर्माण हेतु सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखने हेतु निर्देश दिया गया। प्रस्तुतीकरण के माध्यम से सभी तकनीकी बिन्दुओं को DPR में समाहित करने हेतु विस्तार से बताया गया।
3. प्रशासनिक स्वीकृति हेतु इस आशय की भी सूचना देनी है कि विगत पाँच वर्षों में योजनाओं में कार्य नहीं हुआ है। अधीक्षण अभियंता, अनुश्रवण को निदेशित किया गया कि 5 वर्ष में जो कार्य नहीं हुआ है उसे भी चेक लिस्ट में Mention कर लेने का निदेश दिया गया।
4. "हर खेत तक सिंचाई का पानी" अंतर्गत कतिपय उद्वह सिंचाई योजना में ऐसा ज्ञात हुआ है कि इसका अधिष्ठापन निजी भूमि में किया जाना है। सभी प्रमंडलों को निदेशित किया गया कि इन सभी योजनाओं की विस्तृत प्रतिवेदन पूर्ण तथ्यों के साथ अविलंब मुख्यालय, अनुश्रवण को भेजा जाय।
5. पटना प्रक्षेत्र में डी0पी0आर0 बनाने की प्रक्रिया काफी कम है। 164 योजनाओं के विरूद्ध मात्र 24 डी0पी0आर0 प्राप्त हुआ। इसके लिए मुख्य अभियंता के प्रति घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गई।

6. नालंदा प्रमण्डल में भी डी0पी0आर0 निर्माण की धीमी गति को लेकर अप्रसन्नता व्यक्त की गई।
7. भागलपुर प्रक्षेत्र के मुख्य अभियंता का DPR बनाने में अन्य प्रक्षेत्रों के अपेक्षा प्रगति अच्छी हुई है जिस पर उन्हें धन्यवाद दिया गया।
8. अधीक्षण अभियंता, मुंगेर द्वारा 74 प्राक्कलन समर्पित किया गया है। इसके लिए इनके कार्य की प्रशंसा की गई।
9. अधीक्षण अभियंता, भागलपुर को भागलपुर एवं बांका प्रमंडल अंतर्गत DPR बनाने की प्रगति लाने हेतु निदेश दिया गया।
10. मुजफ्फरपुर में 28 कनीय अभियंता, 11 सहायक अभियंता कार्यरत होने के बावजूद वहाँ आहर–पईन की निर्धारित 10 योजना एवं चैकडेम की निर्धारित 11 योजनाओं के विरूद्ध शून्य डी0पी0आर0 प्राप्त हुए हैं, साथ ही मुख्यालय को अधीक्षण अभियंता, मुजफ्फरपुर द्वारा गलत प्रतिवेदन समर्पित करने के कारण अप्रसन्नता व्यक्त की गई। संयुक्त सचिव को अधीक्षण अभियंता, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध इस हेतु स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।
11. दरभंगा अंचल में आहर–पईन की निर्धारित 23 योजना, चैकडेम की निर्धारित 55 योजना एवं उद्‌वह सिंचाई की कुल 150 योजनाओं के विरूद्ध शून्य डी0पी0आर0 प्राप्त हुए हैं। इस पर घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गई साथ ही अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, दरभंगा से स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने हेतु संयुक्त सचिव को निदेशित किया गया।
12. दरभंगा प्रमण्डल में कुल 65 योजनाओं के विरूद्ध शून्य डी0पी0आर0 प्राप्त हुए। इस पर गहरी अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा संयुक्त सचिव को कार्यपालक अभियंता, दरभंगा से स्पष्टीकरण जारी करने का निदेश दिया गया।
13. कार्यपालक अभियंता, मधुबनी द्वारा बताया गया की पिछले सप्ताह 5 DPR बनाकर समर्पित किया गया है तथा जल संसाधन विभाग से अभी तक NOC प्राप्त नहीं हुआ है जिस कारण कुछ DPR नहीं बन पाया है। इस संबंध में जल संसाधन विभाग से सम्पर्क कर NOC प्राप्त कर DPR बनाने का निदेश दिया गया।

<u>मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना</u>

14. "मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना" हेतु कुल 18,747 सर्वेक्षित स्थलों के विरूद्ध मात्र 17,800 स्थलों का सर्वेक्षण हुआ है। इस हेतु सभी को निदेशित किया गया कि शेष असर्वेक्षित स्थलों का अविलंब सर्वेक्षण करना सुनिश्चित करेंगे।
15. जहाँ सर्वेक्षण नहीं हुआ है उसमें सर्वाधिक कैमूर में 272, दरभंगा में 215, प0 चंपारण में 56, लखीसराय में 40, रोहतास में 25 एवं जमुई में 21 स्थलों हैं। कार्यपालक अभियंता, कैमूर प्रमण्डल द्वारा बताया गया कि कुल 272 असर्वेक्षित स्थलों में 60 स्थल ऐसे हैं जहाँ नेटवर्क नहीं होने के कारण सर्वेक्षण नहीं किया जा सकता। साथ ही कार्यपालक अभियंता, जमुई प्रमण्डल द्वारा बताया गया कि कुल 21 असर्वेक्षित स्थलों में 14 ऐसे स्थल है जहाँ सर्वेक्षण नहीं किया जा सकता, जिसकी पूर्ण रिपोर्ट विभाग को जल्द ही उपलब्ध करा दी जायेगी।
16. निदेशित किया गया कि जहाँ नेटवर्क नहीं है वहाँ मैनुअली सर्वेक्षण किया जाय और जहाँ नेटवर्क की समस्या नहीं है और अबतक असर्वेक्षित है वहाँ अविलंब सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूर्ण कर विभाग को अवगत कराया जाय।

अन्यान्य

17. निदेश दिया गया कि जहाँ कोई योजना किसी तकनीकी कारणवश क्रियान्वित नहीं की जा सकती है, उसकी पूर्ण तथ्यों के साथ रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध करा दी जाय। साथ ही वहाँ उसके लिए दूसरे विकल्प को भी रेखांकित की जाय, ताकि सिंचाई हेतु निर्धारित कमाण्ड एरिया को सिंचित किया जा सके।
18. शनिवार 15 जून, 2024 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। इसमें निदेश दिया गया कि सभी कार्यपालक अभियंता इस बैठक से पूर्व जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक कर लें एवं अंचलवार कैम्प को निर्धारित कर 14 जून, 2024 तक विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय। निदेश दिया गया कि मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सभी मुख्य अभियंता संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त के साथ एवं कार्यपालक अभियंता संबंधित जिला पदाधिकारी के साथ ससमय उपस्थित रहेंगे।
19. कार्यपालक अभियंता, पटना द्वारा बताया गया कि कुछ जमीन अतिक्रमण में है। उन्हें निदेश दिया गया कि अंचलाधिकारी को अतिक्रमणमुक्त कराने हेतु पत्र भेजें। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, पटना द्वारा बताया गया कि पूर्व में विभागीय समीक्षात्मक बैठक में

कहा गया था कि अतिक्रमणयुक्त जमीन का DPR नहीं बनाया जायेगा। इस संबंध में अधीक्षण अभियंता, अनुश्रवण को उक्त विभागीय कार्यवाही पर पुनः समीक्षा कर संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

20. सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं, कार्यपालक अभियंताओं तथा सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सिर्फ पत्र भेजकर आकस्मिक अवकाश पर कोई भी नहीं जायेंगे, बल्कि आकस्मिक अवकाश की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही अवकाश पर जायेंगे।

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

ह0/–

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
लघु जल संसधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 750 (मु0) /पटना, दिनांकः– 18/06/2024

प्रतिलिपिः–सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल/सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल एवं सभी मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/06/24

अधीक्षण अभियंता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।